

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

// संशोधन आदेश //

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर, 2010

क्रमांक/एफ 3-78/2010/10-1: राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक पदोन्नति आदेश दिनांक 28.09.2010 के अनुक्रमांक 95 में अंकित श्री बाबूलाल गौड़ को दिनांक 28.02.2010 से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके पदोन्नति आदेश को निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Kush 12-10

(कुसुम ठाकुर)

अवर सचिव,

9/12/10

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

क्रमांक/एफ-03-78/2010/10-1
प्रातिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर, 2010

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, म0प्र0, ग्वालियर।
2. निज सचिव, माननीय वन मंत्रीजी, म0प्र0 शासन।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 6017 दिनांक 30.11.2010 के संदर्भ में हो।
5. पेंशन कक्ष, कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-I) म0प्र0 भोपाल।
6. मुख्य वन संरक्षक, सागर वृत्त सागर म0प्र0।
7. संबंधित अधिकारी द्वारा : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) म0प्र0 भोपाल।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

गोपनीय

Kush 12-10

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

9/12/10

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II),
मध्यप्रदेश, भोपाल

*पुस्तक प्रकृत
कल 9/12/10*

9/12/10

P:\Vijay\ Raster to Raster order operation



मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर, 2010

क्रमांक एफ 3-78/2010/10-1: राज्य शासन द्वारा निम्न लिखित उप वनक्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वेतनमान रूपये 9300-34800 + ग्रेड पे 3600 में, वन क्षेत्रपाल के पद पर, पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कालम 05 में अंकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रं	वरीयता क्रमांक	नाम	वर्तमान पदस्थिति	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
1	2	3	4	05
1.	109	श्री राजेश्वर प्रसाद मिश्रा	बालाघाट वृत्त	परिक्षेत्र अधिकारी लौंगुर सामान्य दक्षिण बालाघाट सामान्य वनमण्डल
2.	254	श्री मनोहर लाल पारे	छिन्दवाडा वृत्त	परिक्षेत्र अधिकारी गाडरबाडा, सामान्य, नरसिंहपुर सामान्य वनमण्डल
3.	313	श्री फागूलाल उईके	होशंगाबाद वृत्त	परिक्षेत्र अधिकारी मूंदी सामान्य, खण्डवा, सामान्य वनमण्डल

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम 1994 क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Kuc 4-12-10
(कुसुम ठाकुर)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर, 2010

पृ0क्र. एफ 3-78/2010/10-1,
प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 2 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 3 विशेष सहायक माननीय मंत्री जी वन।
- 4 निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी वन।

- 5 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 6 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन- II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
 7 मुख्य वन संरक्षक, छिन्दवाड़ा / होशंगाबाद / सिवनी / खण्डवा / बालाघाट
 म0प्र0।
 8 वन मंडल अधिकारी, दक्षिण बालाघाट (सामान्य), / नरसिंहपुर / खण्डवा (सामान्य)
 वनमण्डल म0प्र0।
 9 संबंधित अधिकारी द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश,
 भोपाल।
 10 गार्ड फाईल
 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

21-12-10
 अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

21/12/10

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन- II) म.प्र. भोपाल।

क्रमांक/प्रशा- II/गोपनीय/6143

भोपाल, दिनांक: 07.12.10

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) बालाघाट, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, सिवनी एवं खण्डवा
2. वन मण्डलाधिकारी दक्षिण बालाघाट(सा) / नरसिंहपुर / खण्डवा (सामान्य)
वनमण्डल, म0प्र0
3. संबंधित कर्मचारी द्वारा मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) बालाघाट/छिन्दवाड़ा
/होशंगाबाद, म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
कृपया पदोन्नत कर्मचारी को नये पदस्थल पर तत्काल भारमुक्त कर इस
कार्यालय को अवगत करावें।

21-12-10
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन- II)
 मध्यप्रदेश, भोपाल
 म.प्र. भोपाल।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल

आदेश

आदेश क्रमांक/प्रशा.-11/गोपनीय/698

भोपाल, दिनांक : 30-8-2010

उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति हेतु मुख्यालय में आयोजित रिव्यू डी.पी.सी. दिनांक 28.8.2010 की अनुशंसा के आधार पर श्री महेश सिंह ठाकुर, उप वन क्षेत्रपाल को कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर उनके कनिष्ठों की पदोन्नति दिनांक 28.3.1998 से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए परिक्षेत्र अधिकारी (विशेष कर्तव्य) सामान्य वन मण्डल, बुरहानपुर में पदस्थ किया जाता है।

मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई है।



(रमेश के.दवे)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक


म0प्र0 भोपाल

पृ. क्र. प्रशा.-11/गोपनीय/ 4524

भोपाल, दिनांक : 30-8-2010

प्रतिलिपि :

- 1- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र. शासन, वन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- मुख्य वन संरक्षक खण्डवा वृत्त खण्डवा
- 3- वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल, एवं बुरहानपुर।
- 4- श्री महेश सिंह ठाकुर, उप वन क्षेत्रपाल द्वारा वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मंडल बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया श्री महेश ठाकुर को आदेश की एक प्रति उपलब्ध करावें।
- 5- प्रभारी वनक्षेत्रपाल कक्ष- अ.प्र.मु.व.स. (प्रशा-11)



प्रधान मुख्य वन संरक्षक

म0प्र0 भोपाल

170 GP ✓

49 ST ✓

40 SC ✓

274 -

277 -

ST

226

491-11
ST

491-11

ST - 20, 45 -

052

05 -

SC - 36 ✓

11

12 -

ST - 145 -

32

43 -

48

60

Start

86
12
21
14
23

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

86
12
21
119

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 28/09/2010

क्रमांक एफ 3-78/2010/10-1, राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित उप वनक्षेत्रपालों को वनक्षेत्रपाल के पद पर वेतनमान रूपये 9300-34800+ग्रेड-पे 3600 में पदोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वनक्षेत्रपाल/परिक्षेत्राधिकारी के पद पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए स्थान पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है :-

अ.क्र.	उप वनक्षेत्रपाल का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थिति का वृत्त	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1.	मथुरा प्रसाद नामदेव	सागर वृत्त	प.अ.जतारा सा., टीकमगढ सा.व.मं.
2.	जयप्रकाश मिश्रा	छतरपुर वृत्त	विशेष कर्तव्य, छतरपुर सा.व.मं.
3.	तेजराम मेहरा	सिवनी वृत्त	व.वि.अ.सिवनी, अनु.विस्तार वृत्त सिवनी
4.	मानिक राम पटले	बालाघाट वृत्त	प.अ.चिलवाहा सा. ओबेदुल्लागंज सा.व.मं.
5.	इन्द्रमणि धुर्वे	बालाघाट वृत्त	डिपो.अ.बकरामुडी, द.बालाघाट उत्पा.व.मं.
6.	पवन कुमार तिवारी	होशंगाबाद वृत्त	प.अ.शहपुरा सा. उ.बैतूल सा.व.मं.
7.	हरिशचन्द्र सावले	इन्दौर वृत्त	प.अ.पूर्व बटकाखापा सा.पूर्व छिंदवाडा सा.व.मं.
8.	आर.एस.बिरथरे	भोपाल वृत्त	विशेष कर्तव्य, भोपाल सा.व.मं.
9.	भवर सिंह सौलकी	उज्जैन वृत्त	प.अ.रेंज पूर्व, माधव रा.उ.शिवपुरी
10.	मुबिन मो. मंसूरी	खण्डवा वृत्त	विशेष कर्तव्य, खण्डवा सा.व.मं.
11.	अशोक कुमार श्रीवास्तव	भोपाल वृत्त	प.अ.कोलास सा. शिवपुरी सा.व.मं.
12.	आर.एस.गोस्वामी	भोपाल वृत्त	विशेष कर्तव्य, भोपाल सा.व.मं.
13.	लखनलाल पवार	छिंदवाडा वृत्त	प.अ.लावाघाघरी उत्पा. छिंदवाडा उत्पा.व.मं.
14.	व्ही.एन.शुक्ला	जबलपुर वृत्त	प.अ.डभौरा सा., रीवा सा.व.मं.
15.	उमाशंकर भार्गव	भोपाल वृत्त	प.अ.रायसेन सा., रायसेन सा.व.मं.
16.	रामचरण पवार	बैतूल वृत्त	प.अ.भौरा उत्पा., बैतूल उत्पा.व.मं.
17.	परशुराम अहिरवार	छतरपुर वृत्त	काष्ठागार अधिकारी पन्ना, द.पन्ना सा.व.मं.
18.	राजेन्द्र सिंह बिसेन	बालाघाट वृत्त	विशेष कर्तव्य, द.बालाघाट सा.व.मं.
19.	झगडुलाल उरकुडे	बालाघाट वृत्त	प.अ.बण्डोल सा. द.सिवनी सा.व.मं.
20.	एस.एल.मनवटकर	बालाघाट वृत्त	प.अ.उ.लामटा सा. उ.बालाघाट सा.व.मं.
21.	के.पी.सनादय	सिवनी वृत्त	प.अ.कुरई पंच टाईगर रिजर्व सिवनी
22.	जगदीश प्रसाद गौतम	सागर वृत्त	प.अ.देवरी रा.चम्बल अभ्या. मुरैना सा.व.मं.
23.	रामायण प्रसाद पाण्डे	रीवा वृत्त	प.अ.अमरकंटक सा. अनूपपुर सा.व.मं.
24.	रामदयाल मासतकर	बैतूल वृत्त	प.अ.कान्हीवाडा सा.द.सिवनी सा.व.मं.
25.	आर.के.श्रीवास्तव	भोपाल वृत्त	विशेष कर्तव्य, भोपाल सा.व.मं.
26.	बी.के.तिवारी	भोपाल वृत्त	प.अ.सागर,नौरादेही वन्यप्रपाणी अभ्यारण्य
27.	हरिओम राजोरिया	ग्वालियर वृत्त	प.अ.द.घाटीगॉव सा.ग्वालियर सा.व.मं.
28.	सत्यनाराण पाण्डे	सागर वृत्त	प.अ.डोगरगढ, नौरादेही अभ्या.सागर

100

Handwritten text, possibly a list or notes, written vertically.

Handwritten text, possibly a list or notes, written vertically.



अ.क्र.	उप वनक्षेत्रपाल का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थिति का वृत्त	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
29.	रमाशंकर शर्मा,	सागर वृत्त	प.अ.नौरादेही, नौरादेही व.प्र.सागर
30.	मन्ना लाल जैसवार,	खण्डवा वृत्त	प.अ.काकडवा सा., बडवाह सा.व.मं.
31.	बी.एल.तिवारी,	रीवा वृत्त	प.अ.केन घडियाल, पन्ना टाईगर रिजर्व
32.	एल.एन.वर्मा,	इन्दौर वृत्त	प.अ.सुसनेर सा. शाजापुर सा.व.मं.
33.	हरिशंकर खरे,	खण्डवा वृत्त	प.अ.मुरैना रा.च.चम्बल अभ्या. मुरैना सा.व.मं.
34.	सिलांस तिकी,	खण्डवा वृत्त	प.अ.गोहरगंज सा. ओबेदुल्लागंज सा.व.मं.
35.	भेरूलाल मेहसन,	इन्दौर वृत्त	प.अ.गरोठ सा. मन्दसौर सा.व.मं.
36.	रामस्वरूप शर्मा,	ग्वालियर वृत्त	विशेष कर्तव्य, ग्वालियर सा.व.मं.
37.	अमरसिंह बारिया	खण्डवा वृत्त	प.अ.टेमागोव उत्पा. हरदा उत्पा.व.मं.
38.	रामजी सिंह	जबलपुर वृत्त	प.अ.धरमपुर सा. उ.पन्ना सा.व.मं.
39.	के.आर.बर्वे	जबलपुर वृत्त	प.अ.दुबरी, संजय रा.उ.सीधी
40.	अरुण कुमार मिश्रा,	जबलपुर वृत्त	पन्ना टाईगर रिजर्व
41.	सुरेश चन्द्र सोनी,	बैतूल वृत्त	काष्ठागार अ.बैतूल, बैतूल उत्पा.व.मं.
42.	रामकिशन जाटव,	शहडोल वृत्त	सहा.अनुदेक, वन विद्यालय अमरकंटक
43.	मंगलप्रसाद दीपांकर,	रीवा वृत्त	प.अ.अटेर सा., भिण्ड सा.व.मं.
44.	बी.एन.रावत,	भोपाल वृत्त	प.अ.ओरछा, टीकमगढ सा.व.मं.
45.	लक्ष्मण लाल राठौर,	ग्वालियर वृत्त	प.अ.बुढेरा सा., ग्वालियर सा.व.मं.
46.	दान सिंह,	छतरपुर वृत्त	ईको विकास कुरई पेंच टा.रि.सिवनी
47.	अवधेश श्रीवास्तव,	इन्दौर वृत्त	प.अ.पानसेमल सा. संधवा सा.व.मं.
48.	जयप्रकाश गंगराडे	इन्दौर वृत्त	प.अ.गौधीसागर अभ्यारण्य, मन्दसौर सा.व.मं.
49.	सरजू प्रसाद सोनवानी,	बालाघाट वृत्त	का.अ.गर्गा द.बालाघाट उत्पा.व.मं.
50.	सूर्यनाथ यादव,	बालाघाट वृत्त	प.अ.ईको विकास गुमतरा पेंच रा.उ.सिवनी
51.	ओमप्रकाश ज्योतिशी,	बालाघाट वृत्त	प.अ.आठनेर सा. द.बैतूल सा.व.मं.
52.	योगेन्द्र दत्त शर्मा	बालाघाट वृत्त	प.अ.घुघवा जीवास्म, कान्हा टा.रि.मण्डला
53.	डॉ.पी.चतुर्वेदी,	बालाघाट वृत्त	प.अ.खैरलाजी सा. द.बालाघाट सा.व.मं.
54.	पी.डी.बागरे,	बालाघाट वृत्त	प.अ.बिरसा / सालेटेकरी, उत्पा. उ.बालाघाट उत्पा.
55.	डॉ.के.राहगडाले,	बालाघाट वृत्त	प.अ.बस्तुआ, संजय रा.उ.सीधी
56.	प्रभुदयाल मिश्रा,	बालाघाट वृत्त	प.अ.किरनापुर उ. द.बालाघाट उ.व.मं.
57.	पुरुषोत्तम स्वर्णकार,	शिवपुरी वृत्त	प.अ.देवरी सा. रायसेन सा.व.मं.
58.	विवेकानन्द श्रेष्ठ्रीय,	उज्जैन वृत्त	डिपो अ.खिरकिया हरदा उत्पा.व.मं.
59.	चक्रधर प्रसाद त्रिपाठी	शहडोल वृत्त	प.अ.सेमरिया सा. रीवा सा.व.मं.
60.	भेरूलाल वर्मा	उज्जैन वृत्त	प.अ.ठीकरी / राजपुर सा.बडवानी सा.व.मं.
61.	मनभरण प्रसाद दुबे,	शहडोल वृत्त	प.अ.तिगरा सा. ग्वालियर सा.व.मं.
62.	मोहनलाल शर्मा	इन्दौर वृत्त	प.अ.बागडा सा. होशंगाबाद सा.व.मं.
63.	विजय कुमार वर्मा,	इन्दौर वृत्त	प.अ.मगरधा सा. हरदा सा.व.मं.
64.	श्रीमति शैलजा महाजन,	इन्दौर वृत्त	व.वि.अ.आशापुरा अनु.विसतार वृत्त खण्डवा
65.	रामगोपाल रावत,	इन्दौर वृत्त	प.अ.बमोरी सा. गुना सा.व.मं.
66.	भूपेन्द्र सिंह उप्पल,	इन्दौर वृत्त	प.अ.मनासा सा. नीमच सा.व.मं.
67.	कैलाशचन्द्र पुरोहित,	इन्दौर वृत्त	प.अ.बलवाडा सा. बडवाहा सा.व.मं.
68.	आफताब खान,	उज्जैन वृत्त	प.अ.मुगावली सा. अशोकनगर सा.व.मं.
69.	बिहारीसिंह सिकरवार	इन्दौर वृत्त	प.अ.बरला सा. संधवा सा.व.मं.
70.	रामकिशोर रायकवार,	भोपाल वृत्त	प.अ.बैरसिया सा. भोपाल सा.व.मं.



[Faint, illegible handwriting or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

अ.क्र.	उप वनक्षेत्रपाल का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान पदस्थिति का वृत्त	वनक्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
71.	राजमणी सिंह,	जबलपुर वृत्त	व.वि.अ.अनु.विस्तार वृत्त जबलपुर
72.	देवराज मिश्रा,	रीवा वृत्त	प.अ.बम्हनी सा. प.मण्डला सा.व.मं.
73.	गोविन्द्र प्रसाद दुबे,	होशंगाबाद वृत्त	प.अ.द.लटेरी सा. विदिशा सा.व.मं.
74.	सिंपत लाल पांचे,	जबलपुर वृत्त	व.वि.अ. अनु.विस्तार जबलपुर
75.	आनंद कुमार सिंह,	रीवा वृत्त	प.अ.तराना सा. उज्जैन सा.व.मं.
76.	राम सखा कोल,	रीवा वृत्त	व.वि.अ.सिरमौर, अनु.विस्तार रीवा
77.	तिलकचंद बिसेन,	बालाघाट वृत्त	डिपो.अ.गर्गा(बोंसागर) उ.बालाघाट उत्पा.व.मं.
78.	अमृतलाल मरापे,	बैतूल वृत्त	प.अ.किरनापुर सा, द.बालाघाट सा.व.मं.
79.	घनश्याम प्रसाद मांझी,	बैतूल वृत्त	प.अ.बोरपानी सा. हरदा सा.व.मं.
80.	लक्ष्मीप्रसाद गौतम,	छिंदवाडा वृत्त	प.अ.बैतूल सा. उ.बैतूल सा.व.मं.
81.	आर.के.तिवारी,	जबलपुर वृत्त	प.अ.सिवनी सा. द.सिवनी सा.व.मं.
82.	राम निवास राव,	जबलपुर वृत्त	प.अ.पूर्व सरई सा. पूर्व सीधी सा.व.मं.
83.	निरंजन कुमार बिसेन,	जबलपुर वृत्त	प.अ.पूर्व खवासा सा. द.सिवनी सा.व.मं.
84.	राजकुमार चतुर्वेदी,	जबलपुर वृत्त	प.अ.राहतगढ़ सा. द.सागर सा.व.मं.
85.	माखन सिंह धुर्वे,	जबलपुर वृत्त	प.अ.मुकुन्दपुर सा. सतना सा.व.मं.
86.	फूल सिंह मरावी,	जबलपुर वृत्त	प.अ.गोरवी सा. पूर्व सीधी सा.व.मं.
87.	मनीराम उइके,	जबलपुर वृत्त	प.अ.सलेहा सा. द.पन्ना सा.व.मं.
88.	मानिकलाल बरकडे,	जबलपुर वृत्त	प.अ.पूर्व बैहर सा. उ.बालाघाट सा.व.मं.
89.	जोहर सिंह झारिया,	जबलपुर वृत्त	प.अ.द.लामटा सा. उ.बालाघाट सा.व.मं.
90.	नारायण दास साकेत,	रीवा वृत्त	प.झालोन सा. दमोह सा.व.मं.
91.	आर.सी.पटेल	उज्जैन वृत्त	विशेष कर्तव्य उज्जैन सा.व.मं.
92.	बहादुर सिंह गौड,	छतरपुर वृत्त	प.अ.खाडी सा. श्योपुर सा.व.मं.
93.	भीमसिंह गौड,	छतरपुर वृत्त	प.अ.जैथारी सा. रायसेन सा.व.मं.
94.	डब्लु सिंह गौड,	सागर वृत्त	प.अ.रेहटी सा. सीहोर सा.व.मं.
95.	बाबूलाल गौड,	सागर वृत्त	व.वि.अ.सागर अनु.-विस्तार सागर
96.	बिल्लमसिंह उईके,	बालाघाट वृत्त	प.अ.बरघाट सा. द.सिवनी सा.व.मं.
97.	कल्याण सिंह भलावी,	छिंदवाडा वृत्त	काष्ठागार अधिकारी आमला छिंदवाडा उत्पा.व.मं.
98.	घासीराम कलम,	खण्डवा वृत्त	प.अ. ढीमरखेडा सा. कटनी सा.व.मं.
99.	इसराम गोडू,	खण्डवा वृत्त	व.वि.अ.ताप्ती इकाई, अनु.विस्तार बैतूल
100.	शंकर सिंह कनेश,	खण्डवा वृत्त	प.अ.सिरवेल सा. खण्डवा सा.व.मं.

2/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम, 1994) क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

(Handwritten signature)

4/ संबंधित कर्मचारी को तत्काल पदोन्नति पर भारमुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28/09/10
(कुसुम ठाकुर)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 28/09/2010

पृ0क्र. एफ 3-78/2010/10-1,
प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर म0प्र0
- 2 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 3 प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन नर्मदा घाटी विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल
- 4 सदस्य, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण विभाग, भोपाल म0प्र0
- 5 निज सचिव, माननीय वनमंत्री जी / माननीय राज्यमंत्री जी वन विभाग, म0प्र0
- 6 अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल म0प्र0
- 7 अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल म0प्र0
- 8 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म0प्र0 भोपाल
- 9 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल
- 10 प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित भोपाल म0प्र0
- 11 प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य वन विकास निगम, भोपाल म0प्र0।
- 12 सचिव, म0प्र0 लोक सेवा आयोग, इंदौर म0प्र0
- 13 समस्त मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक म0प्र0
- 14 समस्त वनमण्डलाधिकारी सामान्य / उत्पादन वनमण्डल म0प्र0
- 15 संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल म0प्र0
- 16 संबंधित कर्मचारी द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) म0प्र0 भोपाल
- 17 गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[Handwritten signature]

28/09/10
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-11)
मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रधान सचिव | गोपनीय | 5020
प्रतिलिपि | समस्त मुख्य वन संरक्षक को |
उत्पादन | वन्य प्राणी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित |
वितरित करने का कृप्य करें।

भोपाल दिनांक 29/09/2010

29.9.10
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा-11) 4
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 12 / 08 / 2010

- क्रमांक एफ 3-49 / 2008 / 10-1, राज्य शासन द्वारा श्री वैद्यनाथ सिंह बघेल (वरीयता क्रमांक 320) उप वनक्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 9300-34800+ग्रेड पे 3600 में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए परिक्षेत्राधिकारी, सिंग्रामपुर परिक्षेत्र दमोह सामान्य वनमण्डल में पदस्थ किया जाता है।
- 2- श्री वैद्यनाथ सिंह बघेल को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.07.08 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- 3- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।
- 4- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994) क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के.कार्तिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

12/8/10

//2//

पृ०क. एफ 3-49/2008/10-1,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 12/ 08 / 2010

- 1/ विशेष सहायक माननीय मंत्री जी वन।
- 2/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3/ सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक स्था./प्रशा.-II/गोप./2375 दिनांक 19.05.2010 के संदर्भ में।
- 6/ वन संरक्षक दमोह वृत्त दमोह म०प्र०
- 7/ वनमण्डलाधिकारी दमोह, म०प्र०
- 8/ श्री वैद्यनाथ सिंह बघेल, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 9/ गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

गोपनीय
वन क्षेत्रपाल कक्ष

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-1),
मध्यप्रदेश, भोपाल



अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

12/8/10

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1) म.प्र. भोपाल।

पृ. क्रमांक/प्रशा-11/गोपनीय/ 4302

भोपाल, दिनांक:

प्रतिलिपि:- 1. मुख्य वन संरक्षक सागर/उज्जैन म.प्र.

17/8/10

2. वन संरक्षक दमोह/वनमंडलाधिकारी दमोह/उज्जैन

3. श्री वैद्यनाथसिंह बघेल द्वारा वन मंडलाधिकारी, उज्जैन/दिसास

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-1)

म.प्र. भोपाल।

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 12 / 08 / 2010

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1, राज्य शासन द्वारा श्री महेश गोयल (वरीयता क्रमांक 655) उप वनक्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 9300-34800+ग्रेड पे 3600 में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए परिक्षेत्राधिकारी, घनौरा सामान्य, सेंधवा सामान्य वनमण्डल में पदस्थ किया जाता है।

2- श्री महेश गोयल को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 26.02.2009 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3- मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (अधिनियम, 1994) क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.के.कांतिया)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

//2//

पू0क. एफ 3-49/2008/10-1,
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक / 08/2010

- 1 विशेष सहायक माननीय मंत्री जी वन।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-II) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक स्था./प्रशा.-II/गोप./4032 दिनांक 02.08.2010 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा म0प्र0
- 7 मुख्य वन संरक्षक, सामान्य वनमण्डल इन्दौर म0प्र0
- 8 वनमण्डलाधिकारी खण्डवा/इन्दौर म0प्र0
- 9 श्री महेश गोयल, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 10 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

गोपनीय वन क्षेत्रपाल कक्ष

अवर सचिव

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II)
मध्यप्रदेश, भोपाल

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन- I) म.प्र. भोपाल।

पृ. क्रमांक/प्रशा.- II/गोपनीय/ 4301

भोपाल, दिनांक: 17/8/10

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक इन्दौर/खण्डवा म.प्र.
2. वन संरक्षक/वनमंडलाधिकारी खण्डवा/इन्दौर
3. श्री महेश गोयल द्वारा वनमंडलाधिकारी इन्दौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन- I)

म.प्र. भोपाल।

मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 22 मई 2010

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1: राज्य शासन द्वारा निम्न लिखित उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त वेतनमान रूपये 9300-34800 + ग्रेड पे 3600 में, वन क्षेत्रपाल के पद पर, पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कालम 05 में अंकित स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रं	वरीयता क्रमांक	नाम	वर्तमान पदस्थिति	पदोन्नति पदस्थापना	उपरात
01	02	03	04	05	
1.	535	श्री हमीर सिंह मीना 20/10/62	होशंगाबाद सामान्य वन मंडल होशंगाबाद	सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढी	SC
2.	667-ए	श्री प्रेम नारायण रायकवार	कार्यालय कार्य अयोजना वृत्त भोपाल	परिक्षेत्र अधिकारी गवासेन, सा.प. बैतूल सा. वनमंडल	SC

2/ श्री हमीर सिंह मीना, उप वन क्षेत्रपाल को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.07.08 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ श्री प्रेम नारायण रायकवार, उप वन क्षेत्रपाल को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 26.02.09 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

4/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियों रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

5/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण ज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के०के०कर्मलिया)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

प्रतिलिपि :-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 2 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 3 विशेष सहायक माननीय मंत्री जी वन।
- 4 निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री जी वन।
- 5 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 6 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 7 मुख्य वन संरक्षक, होशंगाबाद वृत्त होशंगाबाद म.प्र.।
- 8 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-2) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप क्र. 282 दिनांक 21.04.09 एवं टीप क्र. 1210 दिनांक 10.11.09 के संदर्भ में।
- 9 मुख्य वन संरक्षक, बैतूल वृत्त बैतूल।
- 10 संचालक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढी, मुख्यालय होशंगाबाद।
- 11 वन संरक्षक, कार्य आयोजना, वृत्त, भोपाल।
- 12 वनमण्डलाधिकारी बैतूल सामान्य बैतूल।
- 13 वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वन मंडल होशंगाबाद।
- 14 श्री हमीर सिंह मीना द्वारा:- अपर प्रधान. मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 15 श्री प्रेम नारायण रायकवार द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 16 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

(Handwritten signature)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र., भोपाल

पु. क्रं / प्रशा-2 / संख्या/व.से.कस/ 2477 भोपाल, दि. 24.11.10

प्रतिलिपि :- 1. मुख्य वन संरक्षक, भोपाल / होशंगाबाद म.प्र.

2. श्रेष्ठ संचालक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पंचमढी

3. वन संरक्षक कार्य आयोजना, भोपाल

अग्रेषित कर लेना है, कि संबंधित कार्यवाही की प्रति

उन्हें विज्ञापित करने कष्ट करें।

नि. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. II) भोपाल

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 09 मार्च, 2010

क्रमांक एफ 3-49/2008/10-1: राज्य शासन द्वारा श्री रंगनाथ शर्मा (वरीयता क्रमांक 319) उप वन क्षेत्रपाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक वेतनमान रूपये 5500-175-9000 (Pre-Revised) में, वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत करते हुए वन विस्तार अधिकारी, अनुसंधान विस्तार, वृत्त रतलाम में पदस्थ किया जाता है।

2/ श्री रंगनाथ शर्मा को पदोन्नति का लाभ उनके कनिष्ठ की पदोन्नति दिनांक 30.07.08 से प्राप्त होगा किन्तु कार्य नहीं वेतन नहीं सिद्धान्त के आधार पर इस अवधि के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

3/ मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियाँ रोस्टर पंजी में कर दी गई हैं।

4/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21-सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबन्धों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा(1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के0के0काखि)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 09 मार्च, 2010

पू0क. एफ 3-49/2008/10-1,
प्रतिलिपि :-

- 1 विशेष सहायक, माननीय वन मंत्री जी।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 3 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
- 4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.- II) मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनके पत्र क्र. 217 दिनांक 14.01.2010 के संदर्भ में।
- 6 मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान विस्तार, वृत्त रतलाम म0प्र0
- 7 श्री रंगनाथ शर्मा, द्वारा:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II) मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 8 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

ओपनीय

वन क्षेत्रपाल

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा.-II)
मंत्रालय, भोपाल



अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. क्रमांक / गोप० / प्रशा० ११ / १०६९

भोपाल, दिनांक: ११.३.२०१०

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, वृत्त उज्जैन एवं इन्दौर

मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान / विस्तार) रतलाम

श्री रंगनाथ शर्मा, द्वारा मुख्य वन संरक्षक, इन्दौर वृत्त इन्दौर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेंषित ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा० ११)
मध्यप्रदेश, भोपाल